पी.सी.जी.

जी. आर. मजीठिया, जे.के समक्ष

भीम सिंह, अपीलकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य,-प्रतिवादी

1978 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 1558.

3 सितंबर, 1990

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 14—सीमा अधिनियम (1963 का XXXVI)— अनुच्छेद। 58—याचिकाकर्ता को अनुपस्थित रहने के लिए चेतावनी दी गई—उसकी पीठ पर 7 वर्षों के बाद सेवा में ब्रेक के आदेश पारित किए गए—प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन और दोहरे खतरे वाला आदेश—शून्य आदेश को रद्द करना—किसी सीमा की आवश्यकता नहीं है।

माना गया कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया था। भले ही जिस अवधि के दौरान वादी ड्यूटी से अनुपस्थित रहा था, उसे सेवा में व्यवधान माना जाए, ऐसा केवल वादी को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही किया जा सकता था और यह तब और भी आवश्यक था जब वह चूक के लिए पहले ही दंडित किया गया।. एक ही गलती के लिए किसी कर्मचारी को दो बार दंडित नहीं किया जा सकता। जैसा कि पहले देखा गया था, उपायुक्त ने पहले ही निर्देश दिया था कि वादी को बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के लिए चेतावनी दी जानी चाहिए और अमलनामा में इसकी प्रविष्टि की जानी चाहिए। उपायुक्त के लिए यह निर्देश देने का कोई औचित्य नहीं था। जिस अवधि के लिए वादी कर्तव्य से अनुपस्थित रहा, उसे 7 वर्ष से अधिक की समाप्ति के बाद सेवा में विराम माना जाएगा। आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था और इसलिए भी ख़राब है कि एक ही गलती के लिए किसी कर्मचारी को दो बार दंडित नहीं किया जा सकता। यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए कोई आदेश पारित किया गया है वह एक शून्य आदेश है। सेवानिवृत्ति पेंशन कोई इनाम नहीं है और इसे अनुग्रह के रूप में नहीं दिया जाता है। यह संपत्ति का अधिकार है और किसी सरकारी कर्मचारी को कानून के अलावा इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर भी खरा उतरना होता है।

(पैरा 4)

माना गया कि अपीलीय न्यायालय ने सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 के प्रावधानों का सहारा लेते हुए माना कि घोषणा के लिए मुकदमा सीमा से परे था। अपीलीय न्यायाधीश ने शून्य और शून्यकरणीय आदेश के बीच अंतर नहीं किया। यदि आदेश शून्य था तो परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 के प्रावधानों की कठोरता लागू नहीं होगी। प्राकृतिक न्याय के नियमों के उल्लंघन में पारित आदेश पूरी तरह से अमान्य था और इसलिए, इसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है। इसलिए, वादी के लिए वह आदेश न्यायालय द्वारा रद्द करवाना आवश्यक नहीं था। किसी नागरिक के उचित दावे को तकनीकी आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य तकनीकी दलील देकर किसी नागरिक के दावे को विफल नहीं कर सकता कि मुकदमा सीमा से परे था।

(पैरा 5)

बढ़ी हुई अपीलीय शक्तियों के साथ श्री जे.के. सूद एचसीएस, वरिष्ठ उप न्यायाधीश, सिरसा की अदालत के 16 मई 1978 के फैसले से नियमित दूसरी अपील, श्री आर. पी. बजाज, एचसीएस, उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी सिरसा की तारीख 13 जून 1977 की पुष्टि करती है जिसमें वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया और पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया।

दावा: घोषणा के लिए कि 4 अप्रैल, 1968 का आदेश कलेक्टर हिसार द्वारा पारित किया गया था और उपमंडल अधिकारी, हिसार द्वारा 24 फरवरी, 1969 को अवगत कराया गया था, जिसके तहत वादी को सूचित किया गया था कि 20 जुलाई, 1960 से 4 जनवरी तक सेवा में व्यवधान के कारण , 1961 वह किसी भी पेंशन का हकदार नहीं था, अवैध, शून्य, मनमाना है,असंवैधानिक और अधिकार क्षेत्र के बिना और वादी अपनी सेवानिवृत्ति पर दस्तावेजी एवं मौखिक एवं साक्ष्यों के आधार पर पेंशन आदि सहित सभी लाभों का हकदार है;

अपील में दावा: निचली अपीलीय अदालत के आदेश को उलटने के लिए।

याचिकाकर्ता के वकील एन.के. कपूर।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता, रामेश्वर मलिक।

निर्णय

जी. आर. मजीठिया, जे.

(1) यह नियमित दूसरी अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले और डिक्री के खिलाफ निर्देशित है जो अपील पर पुष्टि करती है, ट्रायल जज, जिससे, एक घोषणा के लिए वादी का मुकदमा यह आदेश उपमंडल अधिकारी (सी) हिसार द्वारा उन्हें सूचित किया गया है, - पृष्ठांकन संख्या 1957-58/एसडीएचआर, दिनांक 24 फरवरी, 1969 शून्य था, बर्खास्त कर दिया गया

2) तथ्य:-

अपीलकर्ता (बाद में वादी के रूप में संदर्भित) जो राजस्व विभाग में पटवारी के रूप में कार्यरत था, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 4 अगस्त, 1967 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। वह उपमंडल अधिकारी (सी), हिसार द्वारा पृष्ठांकन संख्या 1957-58/एसडीएचआर, दिनांक 24 फरवरी, 1969 द्वारा सूचित किया गया था कि चूंकि वह जानबूझकर 20 जुलाई, 1960 से 4 जनवरी, 1961 तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहे थे। छह महीने से अधिक, इस अवधि को सेवा में ब्रेक माना जाएगा और वह पेंशन का हकदार नहीं था। इस आदेश को दीवानी मुकदमे में इस आधार पर चुनौती दी गई कि उनका तबादला कर दिया गया था 16 जुलाई, 1960 को चकबन्दी विभाग से पन्नीवाला मोटा सर्कल में। उन्हें अपने नए पोस्टिंग स्थान पर ड्यूटी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और जांच के बाद उन्हें बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहने की चेतावनी दी गई। बाद का आदेश जिसके द्वारा वह अवधि जिसके दौरान वह अनुपस्थित रहा, को सेवा में विराम माना गया, उसे बिना किसी सूचना के दिया गया था। प्रतिवादी ने वादपत्र में दी गई दलीलों का खंडन किया।

3) पार्टियों की दलीलों से, निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए: -

1. क्या शिकायत के पैरा संख्या 4 में बताए गए कारणों से कथित सेवा में व्यवधान बुरा है?OPP
2. क्या 24 फरवरी, 1969 का आदेश अवैध है, क्षेत्राधिकार के बिना है और वादी पर बाध्यकारी नहीं है? यदि है तो किस प्रभाव से ?OPP
3. क्या मुकदमा परिसीमा के अंतर्गत है?OPP
4. क्या सिरसा की सिविल अदालत को इस मुकदमे की सुनवाई का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है?OPD
5. क्या वाद वर्तमान स्वरूप में चलने योग्य नहीं है?OPD
6. क्या वादी को मुकदमा दायर करने से रोका गया है?OPD
7. राहत.

4) ट्रायल जज ने पाया कि आदेश दिनांक 4 अप्रैल, 1968 आईएल,Ex.D2 जिसके द्वारा निर्देशित किया गया कि वह अवधि जिसके दौरानवादी ड्यूटी से अनुपस्थित रहा था, इसे सेवा में ब्रेक माना जाना चाहिए और उसे कोई पेंशन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित कर दिया गया। अंक क्रमांक 2अंक क्रमांक 1 के अंतर्गत पुराने टिंडिंग को ध्यान में रखते हुए इसे अनावश्यक ठहराया गया था मुद्दे 4, 5 और 6 का उत्तर प्रतिवादी/प्रतिवादी के विरुद्ध दिया गया और वादी के पक्ष में। हालाँकि, मुद्दे 3 का उत्तर वादी के खिलाफ दिया गया था और यह माना गया था कि मुकदमा सीमा से परे था। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष, मुद्दा संख्या 1, 4, 5 और 6 के तहत

ट्रायल जज निष्कर्ष दर्ज किये गये। उस पर हमला नहीं किया गया। (केवल अंक संख्या 3 के तहत निष्कर्ष को चुनौती दी गई थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने ट्रायल जज के निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की थी) और माना कि मुकदमा सीमा से परे था। वादी 20 जुलाई 1960 से 4 जनवरी 1961 तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहा। उन्हें आरोप-पत्र दिया गया। तहसीलदार से हुई थी जांच- उपायुक्त, हिसार ने निम्नलिखित सजा दी:-

"उसे चेतावनी दी जाए और अमलनामा में प्रविष्टि दर्ज की जाए।"

वादी को जानबूझकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की सजा दी गई थी। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद महालेखाकार की ओर से उपायुक्त-हिसार को एक पत्र प्राप्त हुआ। यह पत्र वादी को पेंशन और ग्रेच्युटी देने से संबंधित था। पत्र के पैरा नंबर 3 में बताया गया कि वादी 20 जुलाई 1960 से 4 जनवरी 1961 तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहा और इस अवधि को सेवा में ब्रेक माना गया है। अधिकारी पिछली सेवा का लाभ पाने का हकदार नहीं है। परिणामस्वरूप, वह जुलाई, 1960 से पहले प्रदान की गई सेवा के अपने सभी दावे खो देता है। इस पत्र की प्राप्ति पर, एक नोट डाला गया था कि वादी से शपथ पत्र प्राप्त किया जाएगा और फिर मामले को टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। 3 अप्रैल 1968 को, सहायक अधीक्षक राजस्व ने एक नोट संलग्न किया कि वादी के शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी अनुपस्थिति एस.डी.ओ. के पत्र संख्या 1951/एसडीएस/बीसी, दिनांक 25 मार्च, 1968 और से साबित हुई थी। 3 अप्रैल 1968, निम्नलिखित नोट संलग्न किया गया था:

> "जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जानबूझकर अनुपस्थिति के लिए पटवारी किसी सहानुभूति का पात्र नहीं है। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि 6 महीने से अधिक की अनुपस्थिति को सेवा में ब्रेक माना जाए और उसे कोई पेंशन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए"।

डिप्टी कमिश्नर ने नोट स्वीकार कर लिया. संपूर्ण नोटिंग Ex D2 में निहित है। वादी नौकरी से अनुपस्थित रहा, लेकिन इस चूक की सजा उन्हें पहले ही 25 अप्रैल, 1981 को उपायुक्त, हिसार द्वारा दे दी गई थी। महालेखाकार से संचार, प्राप्त होने पर

मामला उपायुक्त, हिसार के कार्यालय में संसाधित किया गया था और इस समय उन्होंने आदेश दिया कि ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि को सेवा में ब्रेक के रूप में माना जाए। याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया। भले ही जिस अवधि के दौरान वादी ड्यूटी से अनुपस्थित रहा था, उसे सेवा में विराम माना जाए, यह केवल वादी को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही किया जा सकता था और यह सब तब और भी आवश्यक हो गया जब गलती के लिए उसे पहले ही दंडित किया जा चुका था। एक ही गलती के लिए किसी कर्मचारी को दो बार दंडित नहीं किया जा सकता। जैसा कि

पहले देखा गया था, उपायुक्त ने पहले ही निर्देश दिया था कि वादी को बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के लिए चेतावनी दी जानी चाहिए और इस आशय की प्रविष्टि अमलनामा में की जानी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर के लिए यह निर्देश देने का कोई औचित्य नहीं था कि जिस अवधि के लिए वादी ड्यूटी से अनुपस्थित रहा था, उसे 7 साल से अधिक की समाप्ति के बाद सेवा में ब्रेक माना जाएगा। आदेश Ex. D2 में निहित है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था और यह इस कारण से भी बुरा है कि एक ही गलती के लिए किसी कर्मचारी को दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है। यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करके पारित किया गया आदेश एक शून्य आदेश है ।अधिशेष पेंशन कोई इनाम नहीं है और इसे अनुग्रह के रूप में नहीं दिया जाता है। यह संपत्ति और शासन का अधिकार है किसी भी कर्मचारी को कानून के अलावा इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा (देखें केसर चंद बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 1982 (2) पंजाब- लॉ रिपोर्टर 223)। वादी को पेंशन के दावे से वंचित नहीं किया जा सकता।

5) अपीलीय न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 के प्रावधानों का सहारा लेते हुए माना कि घोषणा के लिए मुकदमा परिसीमा से परे है। अपीलीय न्यायाधीश ने शून्य और शून्यकरणीय आदेश के बीच अंतर नहीं किया। यदि आदेश शून्य था तो कठोरता
परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। मैं इस निर्णय के पहले भाग में पहले ही कह चुका हूं वह आदेश Ex.D2 में निहित है।Ex. डी-2 द्वारा वादी को पेंशन का दावा अस्वीकार करना एक शून्य आदेश है। प्राकृतिक न्याय के नियमों के उल्लंघन में पारित आदेश पूरी तरह से अमान्य था और इसलिए, इसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है। इसलिए, वादी के लिए यह आवश्यक नहीं था उस आदेश को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाए। (इस संबंध में देखें अमरीक सिंह कांस्टेबल बनाम पंजाब राज्य, 1980 (2) एसएलआर 616)। किसी नागरिक के न्यायोचित दावे को तकनीकी आधार पर नकारा नहीं जा सकता। राज्य तकनीकी दलील देकर किसी नागरिक के दावे को विफल नहीं कर सकता कि मुकदमा सीमा से परे था। अंक संख्या 3 के तहत निर्णय को उलटा दिया गया है। अपील सफल होती है. वादी के वाद का फैसला सुनाया जाता है। नीचे दी गई अदालतों के निर्णयों और डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और वादी को बताए गए उप-मंडल अधिकारी (सी) 5 हिसार के 24 फरवरी, 1969 के आदेश - पृष्ठांकन संख्या 1957-58 के माध्यम से Ex. पी-1 रद्द कर दिया गया है. वादी मांगी गई घोषणा का हकदार है। प्रतिवादी को इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर भुगतान तक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार अर्जित होने की तारीख से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ नियमों के तहत आज तक की पेंशन की बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सुखवीर कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा